लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5487
दिनांक 05.04.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा बुनकरों के समक्ष समस्याएं

5487. श्री जी. सेल्वमः
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:
श्री धनुष एम. कुमार:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री सी.एन. अन्नादुरईः
श्रीमती मंजुलता मंडल:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हथकरघा बुनकरों के समक्ष उपस्थित समस्याओं पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार के हथकरघा बुनकरों के समक्ष उपस्थित समस्याओं का समाधान करने में असफल होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या हथकरघा बुनकरों से संबंधित बुनियादी आंकड़ों के अपर्याप्त और अनुपयुक्त रखरखाव के कारण उनके लिए तैयार की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं सम्पूर्ण देश में कार्यान्वित नहीं की जा सकीं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस संबंध में और अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान बुनकरों को विपणन सुविधाएं प्रदान करने में उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और लाभान्वित बुनकरों की कुल राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क): सरकार हथकरघा क्षेत्र की कार्य पद्धति के साथ-साथ इसकी जरूरतों और आवश्यकताओं से पूरी तरह अवगत है।

(ख): इस क्षेत्र की प्रमुख आवश्यकताओं में कच्चे माल की आपूर्ति और करघे के उन्नयन के साथ-साथ इन उत्पादों की बिक्री हेतु मार्केटिंग सहायता के माध्यम से हथकरघा उत्पादों के निर्माण के लिए हथकरघा कामगारों की सहायता और हैंडहॉल्डिंग शामिल है। सरकार, हथकरघा क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए अपनी समर्पित योजनाओं के माध्यम से, इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य करती रहती है।

(ग) & (घ): सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान हथकरघा संगणना आयोजित की गई और हथकरघा बुनकरों के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक आंकड़े संगृहीत किए गए हैं। सरकार इस क्षेत्र की आवश्यकताओं के आकलन और उसके लिए समर्पित योजनाओं के माध्यम से उनकी पूर्ति करने के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखती है। डीबीटी के माध्यम से सभी लाभों के हस्तांतरण और राज्य सरकारों के परामर्श से किए गए अध्ययन के आधार पर इसकी सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के अलावा, इस संबंध में कुछ नई पहलें इस प्रकार हैं:

i) हथकरघा बुनकरों को विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों को सीधे अपने उत्पाद बेचने में सक्षम बनाने के लिए सरकारी ई-मार्केट प्लेस पर ऑन-बोर्ड किया गया है। अब तक लगभग 1.50 लाख बुनकरों को जेम पोर्टल से जोड़ा जा चुका है।

ii) उत्पादकता, मार्केटिंग क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों में 149 हथकरघा उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है।

iii) हथकरघा उत्पादों के निर्यात को बढावा देने के लिए हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग मेलों/कार्यक्रमों में भाग लेती/आयोजित करती रही है। इसके अलावा, देश के विभिन्न हिस्सों में बुनकरों के लिए अपने उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री के लिए घरेलू मार्केटिंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

iv) हथकरघा क्षेत्र में डिज़ाइन-उन्मुख उत्कृष्टता निर्माण और सृजन के उद्देश्य से विभिन्न बुनकर सेवा केंद्रों में 16 डिज़ाइन संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं तथा बुनकरों, निर्यातकों, निर्माताओं और डिज़ाइनरों को नमूना/उत्पाद सुधार और विकास के लिए डिज़ाइन रिपॉजिटरी तक पहुँच की सुविधा प्रदान की गई है।

(ङ): वस्त्र मंत्रालय हथकरघा एजेंसियों/बुनकरों को अपने उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेचने के लिए मार्केटिंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु देश भर में हथकरघा मार्केटिंग सहायता योजना को राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के एक घटक के रूप में कार्यान्वित कर रहा है। विगत तीन वर्षों 2019-20 से 2021-22 के दौरान वित्तीय रूप से सहायता प्राप्त घरेलू मार्केटिंग कार्यक्रमों की राज्य-वार संख्या और उनसे लाभान्वित बुनकरों की संख्या का विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है।

अनुबंध

दिनांक 05.04.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5487 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

क्र.सं.	राज्य	कार्यक्रमों की संख्या	बुनकरों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	14	29,981
2	असम	63	1,31,875
3	बिहार	4	6,000
4	मणिपुर	24	44,912
5	मिजोरम	24	46,250
6	नागालैंड	23	46,080
7	ओडिशा	11	8,000
8	सिक्किम	17	23,250
9	त्रिपुरा	21	93,037
10	मध्य प्रदेश	17	30,100
11	महाराष्ट्र	4	8,500
12	हिमाचल प्रदेश	4	1,000
13	जम्मू और कश्मीर	10	7,500
14	राजस्थान	7	14,000
15	उत्तराखंड	4	2,500
16	उत्तर प्रदेश	31	50,500
17	आंध्र प्रदेश	21	38,000
18	कर्नाटक	15	18,000
19	तमिलनाडु	13	55,855
20	तेलंगाना	13	24,000
कुल		**340**	**6,79,340**

*****